न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 01/2008 (75 एल. आर. एक्ट)

उनवान

दामोदर सिंह पुत्र श्री गिर्राज सिंह जाति जाट निवासी पथैना तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, भरतपुर।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 21.02.2004 न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, भरतपुर प्र.संख्या 20/2000 उनवान सरकार बनाम दामोदर सिंह।

अभिभाषकगण :–

1. अधिवक्ता अपीलाण्ट श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता श्री मोहन सिंह राणा उपस्थित।

निर्णय दिनांक–21.06.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, भरतपुर के समक्ष तहसीलदार वैर द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 विरूद्ध अपीलाण्ट/अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1001 रकवा 672.04 बीघा गैर मुमकिन नदी वाके ग्राम खानपुर तहसील वैर में से अपीलाण्ट/अप्रार्थी को 04 बीघा भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 26.06.1971 को किया गया। उक्त आवंटन/नियमन नियम विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, भरतपुर ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुए, विवादग्रस्त आराजी का आवंटन निरस्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अभिभाषक अपीलाण्ट ने मूल अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली गुर्जर आरक्षण आन्दोलन में जल जाना बताते हुए, पुनः निर्माण कर प्रस्तुत की गयी है। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश भूमि रूपान्तरण खिलाफ कानून तथा तथ्यों व साक्ष्यों के विरूद्ध होने के कारण काबिले खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि विवादित भूमि गैर मुमकिन नदी, रिकार्ड में दर्ज होने मात्र से आवंटन हेतु अयोग्य नहीं हो जाती है। विवादित भूमि पर आवंटन के पश्चात् आवंटी पुरूषोत्तम को नियमानुसार समय से खातेदार दर्ज किया गया है। तहसीलदार वैर द्वारा आवंटन दिनांक 26.06.1971 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र सन् 2000 में करीब 30 साल बाद पेश किया गया है। इतनी देरी से प्रार्थना पत्र पेश करने को कोई समुचित कारण भी प्रार्थना पत्र में दर्ज नहीं है। इस बीच आवंटी के खातेदार बनने के बाद पैसो की आवश्यकता पडने पर उक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा अपीलाण्ट को वय कर दिया। अतः अपीलाण्ट विवादित भूमि का खातेदार हो चुका है एवं आवंटित भूमि पर खातेदारी दर्ज होने के पश्चात् राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो की परिधि में उक्त प्रकरण नही आने के कारण नियम 14(4) का प्रार्थना पत्र कानून के तहत कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि मूल आवंटी पुरूषोत्तम को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है एवं आवंटी पुरूषोत्तम के साथ अन्य व्यक्तियों के आवंटन को निरस्त करने की कोई कार्यवाही तहसीलदार वैर द्वारा नहीं की गयी है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2003(2) पेज 921, 2007(2) पेज 1443, 2011(1) पेज 383, आरआरडी 1977 पेज 673 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुए, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी जिरह में तर्क प्रस्तुत किए कि विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन नदी दर्ज है, जिसका आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो पूर्णरूपेण विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपीलाण्ट की आपत्ति प्रमुखतः यह है कि अपीलाधीन आवंटन को लगभग 30 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् आवंटी को खातेदारी प्राप्त हो चुकी थी एवं आवंटी द्वारा अपीलाण्ट को आवंटित भूमि विक्रय से हस्तांतरण हो चुकी है। अतः नियम 14(4) के प्रावधान प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। इसके समर्थन में अभिभाषक अपीलाण्ट ने न्यायिक दृष्टान्त भी पेश किये हैं। वक्त बहस अभिभाषक अपीलाण्ट का जोर इस पर था कि यदि तर्क के लिए उक्त आवंटन को त्रुटिपूर्ण भी माना जावें, तो भी तहसीलदार वैर को नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र ना करते हुए, रैफरेन्स से राजस्व रिकार्ड के इन्द्राज परिवर्तन करवाने थे। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट ने यह भी आपत्ति की है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वैर द्वारा मूल आवंटी को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है एवं ना ही आवंटन आदेश जिसे निरस्त कराना था, उसकी प्रतियॉ ही पेश की है। हमने गौर किया। आवंटन निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र नियम 14(4) में मूल आवंटी आवश्यक पक्षकार है एवं आवंटन आदेश जिसे निरस्त करवाना चाहा गया है, कि प्रति भी पेश होनी चाहिए थी। इन दोष के चलते हम गुणावगुण पर उभयपक्षें की विवेचना किये बिना ही प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, भरतपुर को प्रतिप्रेषित करना वांछनीय पाते हैं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एवं प्रार्थना पत्र में उक्त मूलभूल त्रुटियों को सुधारने का प्रार्थी, तहसीलदार वैर को अवसर देते हुए, उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करें।

6. दौराने बहस अभिभाषक अपीलाण्ट ने विवादग्रस्त आराजी किस्म गैर मुमकिन नदी में तहसीलदार वैर द्वारा अन्य आवंटीयो के आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही नहीं करने एवं केवल अपीलाण्ट का आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही करना कथन किया गया है। यहॉ हम तहसीलदार वैर को निर्देशित करना चाहेंगें की वह उक्त तथ्य का परीक्षण करें एवं यदि इसी प्रकार अन्य आवंटन पाये जाते हैं, तो यथा आवश्यक अभिलेख शुद्धि हेतु रैफरेन्स या विधि अनुसार अन्य कार्यवाही करें। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 21.02.2004 अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्षकारान् को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.07.2018 को सुनवाई हेतु उपस्थित होवें।

8. निर्णय की प्रति तहसीलदार वैर को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

9. निर्णय आज दिनांक 21.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official